रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042021-226661
CG-DL-E-16042021-226661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1526] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 2021/चैत्र 25, 1943
No. 1526] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2021/CHAITRA 25, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

का.आ. 1643(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में, नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 के निर्माण (चैड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के क्रमशः स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित जिलों, तालुकों, पुलिस थानों और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट भूखण्ड के संबंध में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनूसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 पर भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) संयुक्त संगठन, मेरठ	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH119 के कि.मी. 11.5 से 39.25 तक	उत्तर प्रदेश	मेरठ	सदर	1 रजपुरा

[फा. सं. 66100/3a]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2021

S.O. 1643(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land of Meerut-Najibabad Section (NH-119) from Km. 11.500 to Km. 39.250 of the NH-119, for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on Meerut-Najibabad Section (NH-119) from Km. 11.500 to Km. 39.250 of the NH-119 in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Magistrate (Land Acquisition)	11.5 Km. To 39.25 Km.	UTTAR PRADESH	MEERUT	sadar	1 Rajpura

[F. No. 66100/3a]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.04.16 14:45:06 +05'30'